न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 721/2016

सुल्तानसिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 .... प्रार्थी

बनाम

1. शिवकुमार
2. हरफूल पुत्रगण फूसाराम
3. राजेन्द्र
4. जिनकू देवी पत्नि श्री फूसाराम
5. देवेन्द्र पुत्र स्व. हरदयालसिंह
6. माना देवी पत्नि स्व. हरदयालसिंह
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
7. केनरा बैंक शाखा फतेहपुर जरिये प्रबंधक
8. ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स बैंक शाखा फतेहपुर जरिये प्रबंधक
9. पटवारी हल्का, बीबीपुर छोटा पटवार क्षेत्र बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
10. तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार बाटड़ एड.– प्रार्थी

श्री दीपक निर्मल एड.– अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 29.06.2018

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी खसरा संख्या 180 रकबा 4.4200 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 खसरा संख्या 175 रकबा 3.2600 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा संख्या 175 के दक्षिण दिशा में लगता ही खसरा संख्या 180 है।

प्रार्थी हमेशा से ही ग्राम बीबीपुर छोटा से अपने खेत खसरा संख्या 180 में खसरा संख्या 167,182,181,175 में से जाने वाले कटानी रास्ता जो आगे ग्राम मरडाटू बड़ी जाता है में से आता जाता रहा है। खसरा संख्या 175 की पूर्वी दिशा में जहां रास्ता हैं उससे होकर उसके सहारे सहारे पूर्वी दिशा से होकर अपने खेत में हमेशा से ही आता जाता रहा है तथा अपनी कृषि उपज आदि लाता, ले जाता रहता है किन्तु इस वर्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थी को अपने खेत में से खसरा नंबर 180 में आने जाने नहीं दे रहे हैं इस कारण से प्रार्थी रास्ते के अभाव में अपना खेत की लाट बाट नहीं कर पा रहा है। पटवारी हल्का से रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है।

प्रार्थी के खेत में प्रवेश का अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः प्रार्थी को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान पर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 175 में से दिलाया जाना न्यायोचित एवं तर्क संगत है जिसके लिये प्रार्थी क्षतिपूर्ति करने को तत्पर है। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलाया जाकर उसे रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी की खसरा संख्या 180 में खेती बर्बाद होने की संभावना बनी हुई है।

प्रार्थी नं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को कई बार खसरा संख्या 175 में से 12 फुट रास्ता देने के लिये कहा तो वे दिनांक 10.09.2016 को अंतिम रुप से इंकार हो गये इसलिये आवेदन लाना आवश्यक हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 175 रकबा 3.2600 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 की पूर्वी दिशा के सहारे–सहारे से संलग्न नक्शे में लाल रेखा से दर्शित 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 180 में आने जाने का दिलाया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1, 4, 6 की ओर से श्री दीपक निर्मल एड. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5, 7 ता 10 की बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर से [illegible] रिपोर्ट [illegible] पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible] से प्राप्त हुई। [illegible]

मौका पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर व जवाब प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को 12 फीट चौड़े रास्ते की अलांतिक आवश्कता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थी को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	खातेदार का नाम
1	175	3.26है0	बा	12 फीट	देवेन्द्र सिंह पुत्र हरदयाल सिंह हि. 3/7 जाति जाट सा. देह

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट व आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (1) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गूना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी दरें निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता एवं अलांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 14.05.2018 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायलय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की रशि की गणना नहीं की जावे।
2. प्रार्थीगण द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की

3. प्रार्थीगण नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 12 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।
5. प्रार्थीगण को उक्त 12 फीट चौडे रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 12 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया गया।

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)